

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड तहसील, राजस्थान  
राजस्व प्रकरण संख्या 35/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

राजस्थान सरकार ज़रिये वनाम श्री नाशयण खत्री शा  
पटवारी हल्का गिराठ जाति मेधापाल शास्त्री गोद  
तहसील गडरारोड

निर्णय

पत्रावली आज बन्दुकान गडरारोड में पेश हुई गैरसायल को अतिरिक्त रूप से अतिक्रमण करने से रोकने के लिए हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ प्रस्तुत कर नियेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम बुद्धिया क 741/688 रकबा 1899.06 बीघा में से 5 बीघा किस्म ज.सु. गेन्स अतिक्रमण अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर सायल को ज्ञापित किया गया है। सुनवाई हेतु तत्त्व किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अतिक्रमण घातित किया जाकर चकत राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश दिए जायेंगे साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर पन्ना आरापित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हों।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराठ को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त फसल नितानी फर्द वास्तु अनुमान के अनुसार पटवारी हल्का में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यकताओं को पूरा करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जायें।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

[Signature]  
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 5% फसल नि. —  
कुल योग 5% जि. के पृष्ठ सं. 33  
दर 249.20 में इन्द्राज किया गया।

[Signature]  
तहसील राजस्व लेखाकार